

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक : 167/10 अति. 9 अति / 11

दिनांक : 10/2/2011

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न वृत्तों/जनपदों द्वारा उत्तराखण्ड शासन, भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं को प्रेषित किये जाने वाले आगणनों में गिनता को देखते हुए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय स्तर पर एक ही शेड्यूल आफ रेट्स (SOR) तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के आगणन गठित करने हेतु उत्तराखण्ड स्तर पर केन्द्रीय शेड्यूल आफ रेट जारी किया जा रहा है। यह SOR दिनांक 01/03/2011 से लागू होगा तथा तत्पश्चात् सभी प्रकार के आगणनों का गठन उक्तानुसार जारी SOR के अनुसार ही किया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात् पूर्व में निर्गत सभी मण्डलों/वृत्तों के SOR निरस्त समझे जायेंगे। उक्त SOR सभी मण्डलों/वृत्तों/खण्डों की सहमति से जारी किया जा रहा है।

विभिन्न प्रकार की योजनाओं हेतु निम्नानुसार दर विश्लेषण किया जायेगा :-

क्र.सं.	योजना	दर विश्लेषण हेतु लागू SOR का प्रकार
1	समस्त केन्द्र पोषित योजनाएं एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित योजनाएं	MORTH (Ministry of Road Transport & Highways)
2	ग्रामान्तर्गामी ग्राम सड़क योजना	MORD (Ministry of Rural Development)
3	राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी कार्य (भवन निर्माण कार्यों के अतिरिक्त)	Roads & Bridges Uttarakhand
4	समस्त भवन निर्माण कार्य	Building Works Based upon CPWD (Central Public Works Department) Skeleton

उक्त SOR <http://202.71.140.182:8086> पर उपलब्ध है। इसे प्रयोग करने हेतु निम्न Login details का प्रयोग आवश्यक होगा।

Login ID : PWDSOR

Password : SOR1234

सकल SOR की प्रति CD के रूप में भी उपलब्ध है।

मुख्य अभियन्ता स्तर - 1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. श्री एस०के० गुप्ता, विशेष कार्यधिकारी, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी / अल्मोड़ा।
6. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) / रुद्रप्रसाग / बनोली / पौड़ी(गढ़वाल) / देहरादून / हरिद्वार / पिथौरागढ़ / चम्पायत / बागेश्वर / अल्मोड़ा / नैनीताल / राधकृष्णपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता लो०नि०वि० 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 वृत्त अल्मोड़ा / नैनीताल / पिथौरागढ़ / हल्द्वानी / वि०या० हल्द्वानी उत्तरकाशी / गोपेश्वर / टिहरी / देहरादून / रा०या० देहरादून / वि०या० देहरादून / पौड़ी।
8. गडालेखाकार, लेखा एवं हकादारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता / विभागध्यक्ष सिंचाई विभाग देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, पयजल निगम, देहरादून।
12. मुख्य अभियन्ता यू०आर०आर०डी०ए० देहरादून।
13. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो०नि०वि० देहरादून।
14. कनिष्ठ अभियन्ता (ग०) कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 लो०नि०वि० देहरादून।

मुख्य अभियन्ता रा०या०